R.M.M. Law College, Saharsa.
Nareshmi Anand
LL.B. Par- IInd
Paper- IXth
Moot Court

अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, अनुच्छेद - 136:—

अनुच्छेद 136 के अनुसार संविधान के भाग 5 के अध्याय - 4 संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद - 124-147) में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गये या दिये गये निर्णय, डिक्री, अवधारणा दण्डादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। इसका अपवाद भी अनुच्छेद 136(2) में दिया गया है। सशस्त्र बलों से सम्बन्धित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दण्डादेश या आदेश के सम्बन्ध में अनुच्छेद 136 का उक्त उपबन्ध लागू नहीं होगा। अर्थात ऐसी दशा में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है।

एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद - 136 के अंतर्गत

Scanned with CamScanner

उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को अपीलीय न्यायालय अथवा अपीलय अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट संविधि के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली अपीलय अधिकारिता के समान नहीं समझना चाहिए। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता के प्रयोग हेतु प्रार्थना प्राइवेट पक्षकार भी कर सकता है। इसके प्रयोग हेतु आग्रह केवल राज्य द्वारा ही नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 136 के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं,—

(i) अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता या शक्ति उसका विवेकाधिकार है। यह उच्चतम न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह अपील के लिए विशेष इजाजत दे अथवा न दे। अनुच्छेद-136 किसी व्यक्ति या पक्षकार को अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता अर्थात एक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय से विशेष इजाजत की मांग नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि अनुच्छेद-136 के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार करता है, परंतु यह आशा की जाती है कि वह अपने विवेक का प्रयोग सुविचारयुक्त रूप में और सावधानी पूर्वक करेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अनुच्छेद-136 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग

(3)

सावधानीपूर्वक और अपवाद जनक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। साधारणतः उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत तभी देता है जबकि अपवाद जनक और विशिष्ट परिस्थितियाँ विद्यमान हों, सारवान् और गम्भीर अन्याय किया गया हो और निर्णय के पुनर्विलोकन की पर्याप्त रूप से गम्भीर आवश्यकता हो।

(ii) साधारणतः उच्चतम न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत उस स्थिति में नहीं देता है जबकि अन्य उपचार सुलभ होता है। साधारणतः सभी उपलब्ध उपचार (अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका सहित) समाप्त होने के पश्चात ही अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष इजाजत की मांग की जानी चाहिए परंतु ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील ग्रहण नहीं करेगा और उसकी सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि उपलब्ध समस्त उपचारों को समाप्त नहीं किया गया हो। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को विस्तृत विवेकाधिकार प्राप्त है परंतु उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपनी इस शक्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं, उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि विशिष्ट तथा अपवाद जनक मामलों जैसे गंभीर अन्याय अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के भंग; इत्यादि की दशा में ही अपील के लिए विशेष इजाजत दिया जाय।

(iii) यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय प्राइवेट व्यक्ति की मांग पर भी अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 136 न तो किसी को अपील के लिए विशेष इजाजत मांगने का अधिकार प्रदान करता है और न ही किसी विशेष इजाजत मांगने से मना करता है। विशेष इजाजत देने अथवा न देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित है, परंतु विशेष इजाजत मांगने का अधिकार किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं है। उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार इस शक्ति का प्रयोग करता है। गम्भीर अन्याय की दशा में उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि वह हस्तक्षेप करे और अन्याय को रोके और ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय प्राइवेट व्यक्ति के आग्रह पर भी अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है और इस आधार पर आपत्ति महत्वहीन होगी कि आग्रह करने वाला पक्षकार राज्य नहीं बल्कि कोई प्राइवेट व्यक्ति है।

(iv) अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है और अपील ग्रहण कर सकता है। भले ही उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 132, 133 और 134 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र अनुदान न किया हो। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की प्राप्त अधिकारिता अनुच्छेद 132 से 134 के प्रभावित नहीं होती है।

(v) अनुच्छेद 132, 133, 134 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के केवल उसी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जो आदेश अंतिम है, परंतु अनुच्छेद 136 के अंतर्गत किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है चाहे यह अंतिम है या न हो।

(vi) अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुज्ञा दे सकता है।

(vii) अनुच्छेद 132 से 134 के अंतर्गत केवल उच्च न्यायालय के निर्णय इत्यादि के विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुज्ञा दे सकता है और उसकी सुनवाई कर सकता है।

(viii) उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि उक्त निष्कर्ष में विधि की त्रुटि न हो। उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पर प्रतिबंध लगाया है कि वह सामान्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के तथा संबन्धी संगत निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता। यदि अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य संबन्धी संभावी निष्कर्ष से घोर अन्याय होता है तो उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह न्याय प्रशासन के हित में हस्तक्षेप करे।

(ix) अनुच्छेद 136 अंतर्गत अपील की सुनवाई

के समय ऐसा तर्क प्रस्तुत करने का इजाजत उच्चतम न्यायालय नहीं देता है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अर्थात जो तर्क नीचे के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है उसे सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। परंतु पूर्ण रूप से विधि का प्रश्न जो कि अधिकारिता का आधार है वह सीधे 136 के अंतर्गत याचिका अपील में उठाया जा सकता है।

(x) यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद-136 के अंतर्गत अनुज्ञप्त विशेष इजाजत उपयुक्त मामलों में प्रतिसंहृत की जा सकती है। उदाहरण के लिए मिथ्या निरूपण अथवा तात्विक तथ्यों के छिपाव द्वारा प्राप्त विशेष इजाजत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिसंहृत (Revoke) की जा सकती